न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 172/2025 बउनवानी मदन लाल मीना **बनाम** तहसीलदार गंगापुर सिटी
निवासी जगतपुरा जयपुर

GCMS No-2025/ 336 **Appeal Number- 321545900526316**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
26.11.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 12.8.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर ***" अपीलान्ट के पिता परसादी पुत्र लाला मीना निवासी बिनेगा ग्राम पंचायत टोकसी को आवंटित ख0न0 8 के संबंध में कुल 8 बिन्दुओं की प्रमाणित सूचना "*** तहसीलदार गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारीं द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 12.8.2025 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 8 मे चाही गयी सूचना तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक 368 दिनांक 25.9.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 12.8.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 लगायत 8 की सूचना तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक 368 दिनांक 25.9.2025 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	